मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक GAD 34/0002/2023/1/9 भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम
समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
समस्त नगर पालिका/नगर परिषद
मध्यप्रदेश

विषयः मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 से दिनांक 26 जनवरी 2025 के समापन के संबंध में।

संदर्भः समसंख्यक पत्र दिनांक 8 दिसम्बर 2024

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं में शत-प्रतिशत सैचुरेशन एवं लक्ष्य आधारित योजनाओं को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान 11 दिसम्बर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक आयोजित किए जाने बाबत निर्देश जारी किये गये हैं। जन कल्याण अभियान में प्रत्येक ग्राम पंचायत व शहरी वार्डो में लगाये गये 30,000 से अधिक शिविरों में लगभग 42 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

2. सभी आवेदन पत्रों का निराकरण दिनांक 26 जनवरी 2025 तक किया जाना अपेक्षित है तथा जिसका निराकरण सभी जिलों द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया गया होगा।

3. इन शिविरों के माध्यम से प्राप्त हितलाभों की स्वीकृतियां एवं सेवाएं समय समय पर अभियान के दौरान शिविरों में दी गई हैं तथा शेष स्वीकृतियां/सेवाओं/हितलाभ वितरण हेतु दिनांक 27.01.2025 को जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर हितलाभ/सेवाएं प्रदान किया जाना है।

4. इस कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं:-

(1) माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सांवेर, जिला इंदौर में आयोजित किया जायेगा। इस कार्यक्रम में इंदौर व उज्जैन संभाग के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी सम्मिलित रहेंगे।

(2) हितलाभ वितरण/स्वीकृति पत्र/सेवाओं के वितरण की कार्यवाही प्रत्येक ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड में कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समारोहपूर्वक दिनांक 27.01.2025 को किया जाना है। इन कार्यक्रमों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से किया जाए।

(3) यह सुनिश्चित किया जाए कि जनकल्याण व राजस्व महाअभियान के शत-प्रतिशत लाभार्थियों को हितलाभ वितरण का कार्य 27 जनवरी 2025 के कार्यक्रम में कर दिया जाए। ऐसा प्रयास होना चाहिए कि कोई भी आवेदन लंबित/अनिराकृत न रहे तथा यह भी ध्यान रखा जाए कि लाभार्थियों को योजना का लाभ अथवा सेवा का प्रदाय वास्तविक रूप से प्रदान किया जाए ना कि प्रतीकात्मक रूप से।

उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियां तत्काल सुनिश्चित की जाये।

(सचिन्द्र राव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. एफ 11/28/2020/1/9 भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2025

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
2. आयुक्त, जनसंपर्क, भोपाल
   कृपया वेबकास्टिंग के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. श्री अजय कटेसरिया, उप सचिव, सा.प्र.वि. भोपाल
4. श्री आशीष वशिष्ठ, प्रबंध संचालक, एमपीएसईडीसी, भोपाल
5. श्री संदीप अष्ठाना, अवर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल
7. निज सचिव, अपर प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
8. सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, एनआईसी, विन्ध्यांचल भवन, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग